सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 56/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये अजय कुमार त्रिपाठी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

– आवेदक–

बनाम

1. श्री विवेक कुमार पुत्र मुन्नालाल वेंडर टी स्टाल, प्लेटफार्म नं0 1, रेलवे स्टेशन दौसा। वार्ड नं0 6, चौबे थोक अकोडा जिला– भिंड(मध्यप्रदेश)
2. भौरी लाल वेंडिंग कांट्रेक्टर टी स्टाल, प्लेटफार्म नं0 1, रेलवे स्टेशन दौसा। घर का पताः– आदर्श मीना कॉलोनी दौसा (राज0)
3. Anju Jain w/o Ashok Kumar Jain (प्रोपराइटर Shiv Sales Agencies) New Mandi Road Dausa 61, Lalsot Road, Laxman Swaroop Petrol Pump Dausa.
4. M/S Shiv Sales Agencies New Mandi Road Dausa.

– अभियुक्तगण–

जूर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 लगा0 4 उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक 21.3.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक अजय कुमार त्रिपाठी दिनांक 20.8.2016 से खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना फाईल नं0 1(42)/रेलवे/एफ.एस.एस.ए.आई दिनांक 28.3.2012 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और उत्तर पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अजय कुमार त्रिपाठी के कार्यक्षेत्र में आते है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकरी ने दिनांक 31.8.2016 को समय प्रातः 07:45 बजे, भौरीलाल वेंडिंग कांट्रेक्टर टी स्टाल, प्लेटफार्म नं0 1, रेलवे स्टेशन दौसा पहुंचा। उस समय एफबीओ श्री विवके कुमार पुत्र मुन्नालाल वेंडर टी स्टाल, प्लेटफार्म नं0 1, रेलवे स्टेशन दौसा में यात्रियों को खाद्य सामग्री बिक्री कर रहे थे। मैने एफबीओ विवेक कुमार को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया और उक्त टी स्टाल का निरीक्षण किया, निरीक्षण करने पर टी स्टाल में फ्रीज एवं कार्टून में यात्रियों को बिक्री के लिये खाद्य सामग्री Packaged Drinking Water(AGLOW) रखा हुआ पाया गया जिसे बिक्री भी किया जा रहा था। इस Packaged Drinking Water(AGLOW) की गुणवत्ता पर संदेह हुआ।

यह है कि इस Packaged Drinking Water(AGLOW) की गुणवत्ता में संदेह होने पर मौके पर फार्म V ए पर नोटिस तैयार किया प्लेटफार्म नं0 1 रेलवे स्टेशन दौसा पर मौजूद यात्रियों को गवाही देने के लिये बुलाया लेकिन कोई भी तैयार नही हुआ जिससे मेरे साथ मौजूद श्री कैलाश लाल एंटी मलेरिया खलासी जयपुर पुरी कार्यवाही के दौरान बतौर गवाह मौजूद रहा के हस्ताक्षर करवाये तथा एफबीओ विवेक कुमार को दिया तथा 16 Bottle Packaged Drinking

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Water(AGLOW) वास्ते नमूना विश्लेषण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत खरीदा जिसकी कीमत एफबीओ विवेक कुमार को 240/–नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर एफबीओ विवेक कुमार के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री कैलाश लाल एंटी मलेरिया खलासी जयपुर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Packaged Drinking Water(AGLOW) चार हिस्सों में बांट कर प्रत्येक हिस्से में चार बोतल को वेंडर व गवाह को दिखाकर बांधा, लेबल तैयार कर प्रत्येक हिस्से पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं सीरियल नं0 NWR-287 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं एफबीओ व गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज के रैपर मे लपेटकर प्रत्येक भाग पर DO/NWR-287 नियमानुसार चारो भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार उपर, नीचे, दाये एवं बाये सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफबीओ, गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रैपर दोनो पर आ जावे। स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर वेंडर एवं गवाह को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे एफबीओ विवेक कुमार एवं गवाह ने पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही फार्म नं0 VI की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 VI की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को श्री कैलाश लाल एंटी मलेरिया खलासी अधीन सी.एच.आई जयपुर द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। दो फार्म VI की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंदकर चपडी से सील मुहर कर श्री कैलाश लाल एंटी मलेरिया खलासी अधीन सी.एच.आई जयपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर को जमा कराकर फार्म VI पर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म VI की दो प्रतियों के एवं नमूना भाग IV आउटर कवर में सील बंद कर डीओ/उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को श्री कैलाश लाल एंटी मलेरिया खलासी जयपुर द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. उ.प.रे. जयपुर के पत्रांक एफ.एस.एस.ए./287/जेपी दिनांक 17.10.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट सं0 एल.एस/2676/एक्ट/2016/359 दिनांक 22.9.2016 के अनुसार एफबीओ द्वारा विक्रय किया जा रहा एवं बिक्री के लिये रखा हुआ Packaged Drinking Water(AGLOW) नमूना जांच में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbrand food) होना पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 लगा0 4 की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त Packaged Drinking Water(AGLOW) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 लगा0 4 द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का सैम्पल लेने की कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की गई है। अभियोजन स्वीकृति विधि के मेंडेटरी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण प्रकरण निरस्त योग्य है। उक्त Packaged Drinking Water(AGLOW) अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा निर्मित नहीं है। उक्त

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 56/2017 एफ एस एस एक्ट

Packaged Drinking Water(AGLOW) का नमूना मिसब्राण्ड आया है उसके लिये निर्माता कम्पनी ही जिम्मेदार है। अप्रार्थी सं0 2 लगा0 4 किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण को खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस/2676/एक्ट/2016/359 दिनांक 22.9.2016 के अनुसार उक्त **Packaged Drinking Water(AGLOW)** का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करने से अप्रार्थी सं0 2 लगा0 4 द्वारा एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन किया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 लगा0 4 द्वारा उक्त **Packaged Drinking Water(AGLOW)** मिसब्राण्ड का विक्रय करने से एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन होने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 लगा0 4 पर 2100/– (अक्षरे दो हजार एक सौ) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 21.3.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 8739 - 8743
दिनांकः– 13-4-2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जवाहर सर्किल जयपुर।
3. श्री विवेक कुमार पुत्र मुन्नालाल वेंडर टी स्टाल, प्लेटफार्म नं0 1, रेलवे स्टेशन दौसा। वार्ड नं0 6, चौबे थोक अकोडा जिला– भिंड (मध्यप्रदेश)
4. भौरी लाल वेंडिंग कांट्रेक्टर टी स्टाल, प्लेटफार्म नं0 1, रेलवे स्टेशन दौसा। घर का पताः–आदर्श मीना कॉलोनी दौसा (राज0)
5. **Anju Jain w/o Ashok Kumar Jain** (प्रोपराइटर **Shiv Sales Agencies) New Mandi Road Dausa 61, Lalsot Road, Laxman Swaroop Petrol Pump Dausa.**
   M/S Shiv Sales Agencies New Mandi Road Dausa

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official